

शासनादेश संख्या 133/14-2-95-500441/1993 दिनांक 27 मार्च 1995 के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए यूकेलिप्टस की रायल्टी निर्धारण की गणना

क्र.सं.	वर्ष	पेपर मीलों को आपूर्ति हेतु विक्रय मूल्य (रु० में)		विक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत रायल्टी के रूप में वन विभाग को देय (रु० में)	
		प्रति घ०मी० (क्वाटर गर्थ)	प्रति वाल्यूम मीट्रिक टन	प्रति वाल्यूम मीट्रिक टन	प्रति घ०मी० (सिलिन्ड्रकल आयतन)
1	2016-17	4240	4719	2595	1833